



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09032021-225734
CG-DL-W-09032021-225734

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 04] नई दिल्ली, फरवरी 28— मार्च 6, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 9— फाल्गुन 15, 1942
No. 04] NEW DELHI, FEBRUARY 28— MARCH 6, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 9— PHALGUNA 15, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

का.नि.आ. 5.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र सेना चिकित्सीय सेवा महानिदेशालय के अधीन सिविलियन चिकित्सा अधिकारी, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) (समुह 'क' पद) भर्ती नियम 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय सिविलियन चिकित्सा अधिकारी, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) समुह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय सिविलियन चिकित्सा अधिकारी, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे :-

"2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।";

3. उक्त नियमों की, अनुसूची में:-

(I) क्रम संख्या 1 पर सिविलियन चिकित्सा अधिकारी पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्षक के लिए और उससे संबन्धित प्रविष्टियों में निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-10 (रु. 56100 -177500)”; ;

(ख) स्तंभ 10 में “वेतन बैंड 2, रु 9300 – 34800 रु + ग्रेड वेतन रु 4800” प्रविष्टियों के लिए “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु. 47600 - 151100)” प्रविष्टियों को रखा जाएगा।

(II) क्रम संख्या 2 पर ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद के सामने, -

(क) स्तंभ (4), में स्तंभ शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-11 (रु. 67700 - 208700)”; ;

(ख) स्तंभ 11 में, “वेतन बैंड 3, (रु 15600 – 39100) + ग्रेड वेतन रु 5400” प्रविष्टियों के लिए “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु 56100 - 177500)” प्रविष्टियों को रखा जाएगा ;

(III) क्रम संख्या 3 के पद पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद के सामने,

(क) स्तंभ (4), में स्तंभ शीर्षक और उसके संबन्धित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-12 (रु. 78800 - 209200)” ;

(ख) स्तंभ 11 में, “वेतन बैंड 3, रु 15600 – 39100) + ग्रेड वेतन रु 6600” प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रु 67700 - 208700)” प्रविष्टियों को रखा जाएगा ;

(IV) क्रम संख्या 4 पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) पद के सामने, -

(क) स्तंभ (4), में स्तंभ शीर्षक और उसके संबन्धित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-13 (रु. 123100 - 215900)” ;

(ख) स्तंभ 11

में, “वेतन बैंड 3, रु 15600 – 39100) + ग्रेड वेतन रु 7600” प्रविष्टियों के लिए “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रु 78800 - 209200)” प्रविष्टियों को रखा जाएगा ;

(V) क्रम संख्या 5 पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (जेष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) पद के सामने, -

(क) स्तंभ (4), में स्तंभ शीर्षक और उसके संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-14 (रु. 144200 - 218200)” ;

(ख) स्तंभ 11 में, “वेतन बैंड 4, रु 37400 – 67000 + ग्रेड वेतन रु 8700” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रु. 123100 - 215900)” प्रविष्टियों को रखा जाएगा ;

[फा. सं. 12017/ आरआर /सी एम ओ /डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/45/आर आर. /डी(नि०)/2021]

देवेन्द्र कुमार , अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग 2 खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. सं. 03, तारीख 30 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th March, 2021

S.R.O. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Civilian Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) (Group ‘A’ posts), Recruitment Rules, 2016 in the Armed Forces Medical Services under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely: -

1. (1) These rules may be called the Directorate General Armed Forces Medical Services Civilian Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) Group ‘A’ posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate General Armed Forces Medical Services Civilian Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) Group ‘A’ posts, “Recruitment Rules 2016” (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: -

“2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classifications and the level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.”;

3. In the said rules, in the Schedule, -

(I) against the post of Civilian Medical Officer at serial 1, -

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 10 (Rs. 56100 - 177500)”;

(b) in column (10), for the entry “Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4800”, the entry in Level 8 (Rs 47600 -151100) in the pay matrix” shall be substituted;

(II) against the post of Senior Medical Officer at serial 2, -

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 11 (Rs. 67700 - 208700)”;

(b) in column (11), for the entry “Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs.5400”, the entry “in Level 10 (Rs 56100 - 177500)” in the pay matrix” shall be substituted;

(III) against the post of Chief Medical Officer at serial 3, -

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 12 (Rs. 78800 - 209200)”;

(b) in column (11), for the entry “Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs.6600”, the entry “in Level 11 (Rs 67700 - 208700)” in the pay matrix” shall be substituted;

(IV) against the post of Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) at serial 4, –

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 13 (Rs. 123100 - 215900)”;

(b) in column (11), for the entry “Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600” the entry “in Level 12 (Rs 78800 - 209200)” in the pay matrix” shall be substituted;

(V) against the post of Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) at serial 5,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 14 (Rs. 144200 - 218200)”;

(b) in column (11), for the entry “Pay Band-4, Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs.8700”, the entry “in Level 13 (Rs 123100 - 215900)” in the pay matrix” shall be substituted.

[F. No. 12017/RR/CMO/DGAFMS/DG-2B/45/RR/D(Appts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number S.R.O. No.03, dated the 30th May, 2016 in the Gazette of India, Part-II, Section-4